

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक एफ2(6358)सूप्रौ/संस्था/14/ 0256/2018
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जयपुर, दिनांक 07/08/2018

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायको को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.सं.	मरिट नं.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	284/2011	अंकिता शर्मा	कार्यालय उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कोटा वृत्त, कोटा	HEADMASTER SECONDARY SCHOOL EXAM-2018(RPSC)
2	1259	अपराजिता शर्मा	कार्यालय जिला औषधि भण्डार गृह, सीकर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018 (RPSC) AND STENOGRAPHER EXAM-2018
3	1787	अखिलेश कुमार	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी, झालावाड	COPA COMP. EXAM-2018
4	1962	अभिलाषा शर्मा	कार्यालय स्टेट काईम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जयपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018 (RPSC)
5	2223	अंजलि सेनी	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, पंचायत समिति-राजगढ़, अलवर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018 AND SR. TEACHER GR II COMP. EXAM-2018
6	2973	एकता रानी	कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018 (RPSC)
7	डोडोपी	आसिफ उमर	कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-04, जोधपुर महानगर, जोधपुर	COPA COMP. EXAM-2018 AND), VICE PRINCIPAL AND GROUP INSTRUCTOR EXAM-2018
8	2368	अरुण कुमार चेजारा	कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़	INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018
9	321	अनिल सी के	कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड	STENOGRAPHER COMP. EXAM-2018
10	2520	चंचल दाधीच	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीकानेर	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018(RPSC)
11	1108	अंकित खण्डेलवाल	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-आमेर, जयपुर	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018(RPSC)
12	2375	अशोक कुमार	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-नीम का थाना, सीकर	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018(RPSC), VICE PRINCIPAL AND GROUP INSTRUCTOR EXAM-2018 , ACF AND FOREST RANGE EXAM-2018 AND CGL COMP. EXAM-2018
13	3767	अरुण चौहान	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-गिरवा, उदयपुर	INDUSTRY EXTENSION OFFICER-2018(RSMSSB) AND INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018(RSMSSB)
14	1447	छज्जन सिंह	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-वैर, भरतपुर	VICE PRINCIPAL AND GROUP INSTRUCTOR EXAM-2018 AND CGL EXAM-2018
15	207	आसिम जफर	एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-लाडपुरा, कोटा	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018 AND JUNIOR INSTRUCTOR(COPA) EXAM-2018
16	2943	अतुल बंसल	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-मादरा, हनुमानगढ़	JUNIOR ACCOUNTANT EXAM-2018(RRVUN)
17	559	अभिषेक	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-श्रीमाधोपुर, सीकर	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018(RPSC)

18	2369	छत्रपाल	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-जैतारण, पाली	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018(RPSC)
19	784	अजय देव पाण्डे	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-वेर, भरतपुर	NET COMP. EXAM-2018, INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018 AND RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018
20	47	अजय कुमार बंसल	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-नादौती, करौली	INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018 AND RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018(RPSC)
21	2011w	अनिल कुमार कोठारी	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, पाली	STATISTICAL OFFICER COMP. EXAM-2018
22	3652	आनन्द प्रकाश	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018 AND JUNIOR INSTRUCTOR COMP. EXAM-2018
23	1571	अरविन्द कुमार	कार्यालय महिला अधिकारिता विभाग, झुन्झुनु	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018(RPSC), ACF AND FOREST RANGE OFFICER GR-II(RPSC), CGL EXAM-2018(SSC) AND JUNIOR ENG.-1 (RVUNL)

उक्त सूचना सहायकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. संबंधित कर्मचारी.....
- ✓ 3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सू. प्रौ एवं संचार विभाग, जयपुर।
4. संबंधित निजी /रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
एवं कार्यालयाध्यक्ष